क्रमांक 4327-3जी0 एस0 11/24640

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, तथा हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी

2. रजिस्ट्रार पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 18 अगस्त, 1972

विषय :- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुवि देना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 9054-4 जी0 एस0-70/32230 दिनांक 22-12- की ओर दिलाने का निदेश हुआ है, जिस के द्वारा उपरोक्त विषय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए थे। बाद में सर ने अपने पत्र क्र0 646-3 जी0 एस0 II 71/4738 दिनांक 25-2-71 द्वारा निर्णय किया था कि यह सुविधाएं उन में ही दी जाएंगी जहां कर्मचारी की मृत्यु 1-1-1970 को या उसके बाद हुई है। साथ ही इस बात का भी उल्लेख कि 1-1-70 से पहले के केसों में गुणागगुण के आधार पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

2. मामले पर अब पुर्नविचार कर के यह फैसला किया गया है कि अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा उस संबंधित अन्य लाभ उन केसों में नहीं दिए जाएंगे जहां पर मृत्यु 1-1-70 से पहले हुई हो । इसलिये भ में ऐसे केस मुख्य सचिव हरियाणा को अनुग्रहपूर्वकअनुदान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये न भेजे जाएं ।

भवदीय

हस्ताक्षर

उप सचिव सामान्य प्रश

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा स

क्रमांक 4327-3 जी0 एस0 II 72, 24641 दिनांक चण्डीगढ़ 18 अगस्त, 1972

एक प्रति महालेखाकार सभी वित्तायुक्त, तथा प्रशासकीय सचिव हरियाणा चण्डीगढ़ को इस विभाग के पृ0 646-3 जी0 एस0 II 71/4739 दिनांक 25-2-72 में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।